भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1631

02 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री किसान योजना से संबंधित शिकायतें

1631. श्री बालू भाऊ धानोरकर उर्फ सुरेश नारायण:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि किसानों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के अंतर्गत धनराशि की पहली किस्त को उनके खातों से निकाल लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा ऐसे किसानों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): जी, नहीं। यह सत्य नहीं है। तथापि, स्कीम के कार्यान्वयन के प्राथमिक चरण में राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों द्वारा अपलोड किए गए किसानों के विवरण को उनके डीबीटी पोर्टल पर सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) द्वारा भुगतान के लिए संसाधित किया गया था। बैंक खातों में क्रेडिट करने के लिए भुगतान को संसाधित करते समय यह पाया गया कि कुछ मामलों में लाभार्थियों के नामों, जैसे कि राज्य सरकारों तथा संबंधित बैंक खाता संख्या के विवरण में दिए गए नामों के विवरण में भिन्नता पाई गई है। राज्यों को इस प्रकार की अनियमितताओं को सत्यापित करने के लिए कहा गया है। राज्यों के अनुरोध पर, 269605 किसानों के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को भुगतान को रोकने का निर्देश दिया गया। इस प्रणाली से इन लाभार्थियों के क्रेडिट को रोका जा सकता था, इसमें से 119743 लाभार्थियों के खाते शामिल नहीं हैं जिनमें पहले ही भुगतान कर दिया गया था। एनपीसीआई एवं बैंकों ने भुगतान रोकने के निर्देश की वजह से इन लाभार्थियों के पैसे वापिस कर दिए। इन 119743 किसानों के संबंध में अंतरण को वापिस लेने के मामलों का राज्य-वार विवरण **अनुबंध** पर संलग्न है।

लाभार्थियों के भुगतान को जारी करने की प्रक्रिया में प्रारंभिक अवधि के बाद उचित तरीके से संशोधन किया गया तथा सख्त सत्यापन प्रकियाओं को तैयार किया गया। नामों में विभिन्नता के कारण राज्यों के भुगतान को रोकने के अनुरोधों को अग्रिम तौर पर लिया गया ताकि केवल उन लाभार्थियों को भुगतान जारी किया जा सके जिनके आंकड़ें बैंक खाता विवरणों में सही पाए गए है। इस प्रकार, घटना के दोहराव की संभावना समाप्त हो गई है।

लो.स.अता.प्र.सं. 1631

अनुबंध

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**दोहराव के वे मामले जिनमें पैसा वापिस लिया गया**
1	असम	2
2	हरियाणा	55
3	हिमाचल प्रदेश	346
4	जम्मू एवं कश्मीर	29
5	झारखंड	22
6	महाराष्ट्र	32897
7	उत्तर प्रदेश	86314
8	उत्तराखंड	78
	कुल	**119743**

*****